भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2607

दिनांक 22 **दिसंबर**, 2022

एलपीजी सिलेंडर के लिए क्यूआर कोड

†2607 **श्री नलीन कुमार कटील**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर अगले तीन महीनों में स्कैन करने योग्य क्यूआर कोड से लैस होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) बाजार में अब तक क्यूआर कोड वाले कितने एलपीजी सिलेंडर जारी किए जा चुके हैं; और

(ग) एलपीजी गैस सिलिंडरों से गैस की चोरी रोकने और सिलिंडरों का बेहतर इन्वेंटरी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा मदनपुर खादर भरण संयंत्र, दिल्ली में सिलिंडरों की क्यूआर कोड टैगिंग के लिए पायलट अध्ययन किया गया है। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने मदनपुर खादर भरण संयंत्र में क्यूआर कोड वाले एलपीजी सिलिंडरों को भरने और उनका प्रेषण दिल्ली बाजार के केवल दो वितरकों को करने के लिए दिनांक 01.09.2022 से तीन माह की अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। बाद में पीईएसओ ने और तीन माह अर्थात् दिनांक 28.02.2023 तक के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। इस पहल से चोरी, ट्रैकिंग तथा ट्रेसिंग के मुद्दों का समाधान होने और गैस सिलिंडरों का बेहतर मालसूची प्रबंधन होने की संभावना है। आईओसीएल ने दिनांक 27.11.2022 तक 23,827 ऐसे क्यूआर टैग वाले 14.2 कि.ग्रा. एलपीजी सिलिंडर इन वितरकों को भेजे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंम नियों (ओएमसीज) ने चोरी/एलपीजी उपभोक्ताओं को कम वजन वाले सिलिंडरों की आपूर्ति को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, भरण संयंत्र पर भरे गए सिलिंडरों के वजन की औचक जांच, सिलिंडरों को छेड़छाड़ रोधी सील से सील करना, भरण संयंत्रों से प्राप्त 10 प्रतिशत सिलिंडरों पर सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण, सिलिंडरों की डिलिवरी से पहले जांच, डिलिवरी करने वाले व्यक्तियों द्वारा वजन तोलने की पोर्टेबल मशीन साथ ले जाना, ओएमसी के अधिकारियों द्वारा गोदाम/डिलिवरी केंद्रों/मार्ग में औचक जांचें करना, जन जागरुकता अभियान चलाना आदि शामिल हैं।

***